

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकट्टा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

वाद संख्या : 104/2017/2020-21
लेख्य प्रकार- संवेदा (प.स. जमादा)


03/11/20

अभिलेख का संधारण E-Court (Revenue) में लघित वाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त वाद से संबंधित अभिलेख का संधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के गप भवन में इस्तातरण क क्रम में अभिलेखक अन्यत्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सृजन किया गया। अपर सनाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निदेशन भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं0-03-खा0न0 नोति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुसंधान/निदेश के अनुपालन में गै0 न0 खास भूमि के विरुद्ध कायन की गई जनाबंदीयों को जाँच क क्रम में राजस्व उप नि0 एवं अचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत गै0 न0 खास भूमि की जनाबंदी कायन है।

गांव	खाता	खंसा	रकबा	जनाबंदीदार	पंजी-2 का पृ0सं0/भाग
कोनहरा रूड	01	-	0.66 1/3 एअ	रैयत का नाम हरि मिश्रा पुत्र नोकप मिश्रा	127/I

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त वर्णित जनाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।


अतः संबंधित को संधारित जनाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23/11/20 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
बरकट्टा

23/11/20

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तामिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/स0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074, दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में जाँच की गई। जनाबंदीदार रैयतों द्वारा संदेहात्मक जनाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का हुकुमनामा, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये चर्चाबस्ती संघी कियो प्रयणर का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) में विहित प्रावधानुसार जनाबंदी सं0 127/I वनाम हरि मिश्रा को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने को अंगुष्य की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरहौ को भेजें।


अंचल अधिकारी
बरकट्टा

संदिग्ध / संदेहारपद जमाबंदी संबंधी जांच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहारपद जमाबंदी रैयत का नाम पिहरा बिर्षा पिता- लौकण बिर्षा

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण - जो खार

मौजा	थाना स०	खाता स०	खंड स०	रकबा
<u>कौनहरा खुर्द</u>	<u>११</u>	<u>१</u>	<u>—</u>	<u>०.६६ $\frac{१}{३}$ २००</u>

3. जमाबंदी पंजी-11 के जिल्द संख्या I पृष्ठ स०-127 पर कायम है -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - १९७५-७९

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम - जो खार

6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है आदेश नं०-१६१


7. यदि संदेहारपद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम _____

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिश्चित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूयंदावस्ती) _____

9. संदेहारपद जमाबंदी की जांच किस प्रकार प्रणालय से की गई (मूलभूत जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी II से

10. संदेहारपद जमाबंदी में अविगत जमाबंदी रकबा एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	खाते निर्माण तिथि	वसूली वर्ष
	<u>566529</u>	<u>२५/१२/९२</u>	<u>१९९१-९२</u>


23/11/20

अवेध जमाबन्दी से संबंधित अंचल कार पर भरा जाने वाला

चेक लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - ह. वांग, वरकटडा
2. क) अवेध जमाबन्दीदार का नाम- हिरा विभा पिठ-ताफला विभा
 ब) अवेध जमाबन्दी की भूमि की विवरणी-

संज्ञा	प्लान नं०	खारा सं०	खजरा सं०	रकबा	खतियानों प्रविष्टि	किस्त जमीन
1	2	3	4	5	6	7
कौनहरा खुर्द	99	1	-	0.66 $\frac{1}{3}$	गैर खाल	गौला की नहरा खुर्द के गैर खाल के समी- गैर खालों पर संपत्तियां गैर खालों अंगत है।

3. भूमे का वर्तमान स्वरूप- पट्टी
4. अवेध जमाबन्दी पंजी II में कब से संधारित है- 1978-79 से
5. उक्त जमाबन्दी पंजी II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम- आदेश दर्ज नहीं है।
 (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।)
6. नामान्तरण/दाखिल-खारिज उपरान्त संधारित जमाबन्दी के मामलों में मूल जमाबन्दी रैबत की विवरणी- ✗
7. अवेध जमाबन्दी कायम किये जाने का आधार
 - i) अनियमित सादा हुकुमनामा ✓
 - ii) लगान निर्धारण तथा उसका बर्ष (बाद सं० एवं पारित आदेशानुसार) ✗
 - iii) अवेध भू-बन्दोवस्ती (बाद सं० के साथ) ✗
8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रूपये कम या इससे अधिक) ✗
9. अवेध जमाबन्दी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई है-
 - i) भूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से - ✗
 - ii) अंचल / अनुमंडल में संधारित बन्दोवस्ती पंजी से - ✗
 - iii) दाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नामांतरण पंजी से - ✗
10. क) अवेध जमाबन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है? ✗
11. क्या दिनांक दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? ✗
12. वर्ष 1954-55 में हुए फिरोख पुजारत पंजी में दखल कब्जा अवेध जमाबन्दीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? ✗
13. राजस्व कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुरांत सहित- गौला की नहरा खुर्द के गैर खाल
14. अवेध निरीक्षक का स्थलीय जांचोपरान्त मनाब्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन - गौला की नहरा खुर्द के गैर खालों के लिए खालों पर संपत्तियां गैर खालों पर संपत्तियां अंगत है।

W
23/11/2000

अंचल अधिकारी भूमि सुधार उपसमाहता अनुमंडल पदा० अपर सहायक उपसुक्त

गौला की नहरा खुर्द के गैर खालों के लिए खालों पर संपत्तियां गैर खालों पर संपत्तियां अंगत है।